रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस0एस0पी0/एल0-
डब्लू0/एन0पी0-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार व्दारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2012
श्रावण 25, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-1867/ग्यारह-2012-500(7)/2001
लखनऊ, 16 अगस्त, 2012

अधिसूचना

आदेश

प0आ0-493

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए नजूल भूमि में पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए उक्त नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा निष्पादित लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि, जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गयी प्रतिफल की धनराशि से उक्त नजूल भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते है:

परन्तु यह कि यह अधिसूचना नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमंत्रण के व्दारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से सम्बन्धित मामलों में लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द ''प्रतिफल'' का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभारी और उस पर ब्याज, यदि कोई हो, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा पट्टाधृत अधिकारी को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो, से है।

आज्ञा से,
बी0एम0मीना,
प्रमुख सचिव।